तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22-05-25	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश। सुना। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी का दावा आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

वाद संख्या 42 / 2024

दायरा दिनांक 20.06.2024

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. बाबूलाल आ0 छीत्या बालिग जाति मीणा निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राज0।
–वादी

बनाम

1. बजरंगलाल बालिग आ0 कालू जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. महेन्द्र बालिग आ0 भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा
अन्तर्गत धारा 188, 183 आर0टी0एक्ट

उपस्थित

1.श्री राजेन्द्र कुमार जैन – अधिवक्ता वादी
2.श्री घनश्याम सैनी – प्रतिवादी संख्या 1
3.अनुपस्थित(एकपक्षीय) – प्रतिवादी संख्या 2

दिनांकः–२१.05.2025

निर्णय

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषिभूमि खसरा संख्या 296 / 1 रकबा 0.82है0, ख0सं0 306 / 1 रकबा 0.20है0, ख0सं0 404 रकबा 0.31है0, ख0सं0 405 रकबा 0.18है0, ख0सं0 450 रकबा 0.86है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.37है0 स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। खातेदार की हैसियत से ही वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि के आस पास की भूमियां किराये पर ली हुई है जिन पर किराया अदा कर काश्तकारी करते है। प्रतिवादीगण लडाकू, बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो वाद विषयक आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय में दावा दायर करके अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब हेतु समुचित अवसर दिए जाने के उपरान्त

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं कर अनुपस्थित रहने से उनका जवाब बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी बाबूलाल के बयान करवाये जाकर लेखबद्ध किए। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खतौनी संख्या 65 वाके ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ पेश की जो प्रदर्श–1 है, नक्शा ट्रेस जो प्रदर्श–2, सत्यापित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खाता संख्या0 65 जो प्रदर्श–3 पेश की है। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि वादी वाद विषयक आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अजनबी व्यक्ति है जो जबरदस्ती वादी के खाते की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में डिक्री पारित की जावे।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी प्रदर्श–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद विषयक आराजी वर्तमान में वादी बाबूलाल पुत्र छीत्या जाति मीना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी का उक्त भूमि पर कब्जा प्रदर्श–3 से साबित है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा अपने पक्ष में कोई जवाब एवं दस्तावेज पेश नहीं किए है जिससे प्राथमिक दृष्ट्या यह साबित होता है कि वे अजनबी व्यक्ति है जो प्रश्नगत आराजी से कोई सरोकार नहीं रखते है। वादी के कथन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 जबरन वादी के सहखाते की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उनको कानूनन कोई अधिकार नहीं है। वादी ने वाद पत्र प्रतिवादी द्वारा दौराने वाद कब्जे करने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे वर्तमान में वादी का कब्जा होना जाहिर है। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज एवं वादी के कथनो को मध्यनजर रखते हुए हमारे मत में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्ध डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी अधिकार की कृषिभूमि खसरा संख्या 296/1 रकबा 0.82है0, ख0सं0 306/1 रकबा 0.20है0, ख0सं0 404 रकबा 0.31है0, ख0सं0 405 रकबा 0.18है0, ख0सं0 450 रकबा 0.86है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.37है0 वाके ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पर वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे एवं जबरन कब्जा नहीं करें ऐसा कृत्य न स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। तदानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक २२.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....लाखेरी.....
व इजलास.....श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस).....

1. बाबूलाल आ0 छीत्या बालिग जाति बनाम मीणा निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राज0।

—वादी

1. बजरंगलाल बालिग आ0 कालू जाति मीणा निवासी ग्राम बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. महेन्द्र बालिग आ0 भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 188,183 आर0टी0एक्ट

सन् .....

मुकदमा नम्बर 42/दावा/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....हमारे.....व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन ....मिनजानिब मुद्दई रूबरू.....प्रतिवादी सं1 अधिवक्ता श्री घनश्याम सैनी..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि—
वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्ध डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी अधिकार की कृषिभूमि खसरा संख्या 296/1 रकबा 0.82है0, ख0सं0 306/1 रकबा 0.20है0, ख0सं0 404 रकबा 0.31है0, ख0सं0 405 रकबा 0.18है0, ख0सं0 450 रकबा 0.86है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.37है0 वाके ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पर वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे एवं जबरन कब्जा नहीं करें ऐसा कृत्य न स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

दस्तखत

ओहदा

मुहर मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।